403

वित्तीय स्वीकृति

संख्याः /XVII-3/2015-07(02)/2006

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 20 जनवरी, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2014–15 में अल्पसंख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना मद में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्र संख्याः 1334/नि.अ.क./बजट मांग/2014–15 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से आयोजनागत पक्ष की **अल्पसंख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना मद में प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख मात्र)** को वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. शासनादेश संख्या 681/XVII-3/2014-07(02)2006, दिनांक 29 अगस्त, 2014 के द्वारा मूल बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख (एक करोड पचास लाख मात्र) अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत उल्लिखित समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि इस आशय से निर्वतन पर रखी जा रही है कि उक्त मद की धनराशि व्यय करने से पूर्व योजनावार विस्तृत, औचित्य सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासन से व्यय की अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त धनराशि व्यय की जायेगी।
4. आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित अन्य धनराशि हेतु नियमानुसार मांग प्रस्ताव निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
6. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
7. यदि किसी योजना एवं मद में आय–व्ययक 2014–15 में बजट प्राविधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्राविधान की सीमा तक व्यय की जाएगी।

8. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त–पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये।

9. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

10. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

11. यदि, किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग हो तो, उसका औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

14. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध करायें।

15. बी0एम0–4 एवं 8 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

16. किसी भी शासकीय व्यय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकरों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल्स) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

17. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 4250–अन्य सामाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–800 अन्य व्यय–08–अल्पसंख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना के मानक मद–30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

18. यह आदेश सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के एलोटमैंट आइ. डी संख्या S1501150174 दिनांक 15 जनवरी, 2015 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

19. योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण मदवार प्रत्येक अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ–साथ उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1132 (1) / XVII-3/15-07(02)/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. महाप्रबन्धक, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. समाज तथा अल्पसंख्यक कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, देहरादून
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।